रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 120] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 1989/आषाढ़ 13, 1911
No. 120] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 1989/ASADHA 13, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रभाग

संकल्प

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1989

संख्या 4(13)/88—ई.सी.बी. —भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग विदेशी संसाधनों को नियंत्रित करने और विदेशी ऋण का उपयुक्त प्रबन्ध करने के लिए बाजार, साधन, करेंसी और ब्याज दर आदि जैसे पहलुओ पर सलाह देने के लिए एक निकाय स्थापित करने की आवश्यकता के विषय में कुछ समय से विचार करती रही है । उपर्युक्त कार्य करने के लिए सरकार ने अब आर्थिक कार्य विभाग में विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रभाग के अन्तर्गत एक विदेशी वित्त सेवा दल का गठन करने का निर्णय किया है ।

इस दल में विभिन्न वित्तीय संस्थाओ और बैंकों से व्यावसायिक व्यक्तियों को कालावधि आधार पर शामिल किया जाएगा, इनमें से एक व्यक्ति दल के मुक्त कार्यकारी के रूप में कार्य करेगा । दल के सदस्य अपने संबंधित मूल संवर्गों में बने रहेंगे और वे वहीं से वेतन और भत्तों का आहरण करेंगे परन्तु वे आर्थिक कार्य विभाग में विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव के प्रचलनात्मक नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे । इस दल की एक कार्यकारी समिति होगी, संयुक्त सचिव (ई.सी.बी.) जिसके संयोजक होंगे और संयुक्त सचिव (फण्ड बैंक) और आर्थिक कार्य विभाग मे आर्थिक सलाहकार (बी.पी.) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और आई.एफ.सी. आई के कार्यकारी निदेशक और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय स्टेट बैंक के उप-महानिदेशक सदस्य के रूप में शामिल होंगे । इस दल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे । एक संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष वित्त सचिव होंगे और सचिव/मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आई.एफ.सी. आई और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के अध्यक्ष इस समिति के सदस्य होंगे और इस दल को समग्र मार्गदर्शन और निर्देशन प्रदान करेंगे । विभिन्न मामलों पर सलाह देने के लिए इस दल को परामर्शदाता नियुक्त करने की शक्तियां प्राप्त होंगी ।

इस दल के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे :—

(1) इस दल द्वारा 10 करोड़ रुपए की न्यूनतम सीमा से अधिक विदेशी वाणिज्यिक उधारों के सभी प्रस्तावों की पहले जांच की जाएगी ताकि साधन और बाजार के स्वरूप, करेंसी तथा ब्याज

वर और इसी प्रकार के अन्य उपादानों पर उनकी सुविधाजनक और सलाह विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रभाग को, औपचारिक स्वीकृति जारी करने से पहले उनका मूल्यांकन करने के लिए, उपलब्ध हो सके ।

(2) यह दल सभी प्रमुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं की देयताओं की जांच करेगा और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध विभिन्न साधनों का प्रयोग करके उपयुक्त देयता संबंधी प्रबन्ध पर सलाह देगा ताकि लगातार और नियमित आधार पर देयता को न्यूनतम कर सकें।

(3) वृहद् स्तर पर यह दल देश के कुल ऋण देयता प्रबन्ध पर सलाह देगा ।

(4) दल की उनकी विशेषज्ञ राय के लिए भेजा गया अन्य कोई भी मामला ।

आवर्ती और अनावर्ती किस्म के कार्यालय संबंधी खर्चे इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष संचालन समिति द्वारा अनुमोदित समग्र बजट के अन्दर कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे और संचालन समिति द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार ये खर्चे सहभागी संस्थाओं के बीच बांट लिए जाएंगे । यह दल किसी वित्तीय संस्था, सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के ग्राहक को दी गई विशेषज्ञ सेवाओं के शुल्क भी वसूल करेगा जिनकी दरों और शर्तों का निर्णय समय-समय पर कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि सभी संबंधितों को भी सम्प्रेषित कर दी जाए और इसे आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

एस. सी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

E. C. B. DIVISION

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd July, 1989

No. 4(13)/88-ECB.—The Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, have had under consideration for sometime the need to set up a body to advise on such aspects as markets, instruments, currency and interest rates etc. for tapping external resources and for proper external debt management. To accomplish the aforesaid tasks, Government have since decided to set up an External Finance Service Group (EFSG) under the External Commercial Borrowings Division (ECB) in the Department of Economic Affairs.

2. The Group would be manned by professionals drawn from Financial Institutions and Banks appointed on tenure basis, with one among them acting as the Chief Executive of the Group. The members of the Group will continue to be borne on their respective parent cadres and draw their salaries and allowances therefrom but will function under the operational control of Joint Secretary incharge of External Commercial Borrowing (ECB) Division in the Department of Economic Affairs. There will be an Executive Committee of the group with JS (ECB) as the Convenor, JS (Fund Bank) and the Economic Adviser (BP) in the Department of Economic Affairs, Executive Directors of IDBI and IPCI, and Dy. MDs of ICICI and SBI as members. The Chief Executive of the Group will serve as the Member Secy. of the Committee. A Steering Committee with Finance Secretary as Chairman and Secretary/Chief Economic Adviser, Deputy Governor RBI, Chairman SBI, IDBI, IPCI and ICICI as members will provide overall guidance and direction to the Group. The Group would have the powers to engage consultants to advise on various issues.

The Group would have following responsibilities :

(1) All proposals of External Commercial Borrowings beyond the minimum limit of Rs. 10 crores would be first examined by the Group so that their expertise and advice on the nature of instrument and market, the currency and interest rate and such other factors is available to ECB Division for appraisal before a formal sanction is issued.

(2) The Group would examine the liabilities of all major Public Sector Undertakings and Financial Institutions and advise them on a proper liability management by use of the different instruments available in the international markets so as to minimise the liability on a continuing and regular basis.

(3) At the macro level, the Group would advise on country's total debt liability management.

(4) Any other matter refered to the Group for their expert opinion.

The office expenses, recurring and non recurring in nature will be sanctioned by the Executive Committee within the overall budget approved by the Steering Committee every year for this purpose and will be shared between the participating institutions as may be decided by the Steering Committee. The Group may also charge fee for specialist services rendered to any Financial Institution, Public or Private Sector client on rates and terms to be decided by the Executive Committee from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

S. C. TRIPATHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989